सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलेक्टर ब्यावर (अजमेर)
पीठासीन अधिकारीः– श्री जसमीतसिंह संधू (आई0ए0एस0)

राजस्व वाद पत्र संख्या 88/2018

1– श्री बाबूलाल भाटी उम्र करीबन 63 साल पुत्र स्व0 श्री गुलाबचन्द जी भाटी
2– श्रीमति सुरज उम्र करीबन 60 साल बैवा सत्यनाराण जी
3– श्री अनिल भाटी उम्र करीबन 40 साल पुत्र स्व0 श्री सत्यनारायण जी
4– श्री संजय भाटी उम्र करीबन 36 साल पुत्र स्व0 श्री सत्यनारायण जी
5– श्रीमति सुनिता उम्र करीबन 42 साल पुत्री स्व0 श्री सत्यनारायण जी
6– श्रीमति रेणू उम्र करीबन 34 साल पुत्री स्व0 श्री सत्यनारायण जी
सभी जाति माली निवासियान पुराना मसूदा रोड, आजाद नगर, ब्यावर
——————वादीगण

ब ना म

1– श्री गोविन्दराम वयस्क पुत्र श्री भंवरलाल सांखला जाति माली निवासी सुरजपोल मालियान ब्यावर हाल निवासी पुराना मसूदा रोड, श्रीराम ट्रासपोर्ट कम्पनी के पीछे, ब्यावर तहसील ब्यावर जिला–अजमेर
2– श्री तुलसीराम वयस्क पुत्र श्री भंवरलाल जी सांखला जाति माली निवासी सुरजपोल मालियान मौहल्ला, ब्यावर हाल निवासी पुराना मसूदा रोड श्री राम टांसपोर्ट कम्पनी के पीछे, ब्यावर तहसील ब्यावर जिला–अजमेर
——————प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांकः– 26-08-19

वादीगण ने अपने वादपत्र में सारांशतः कथन किये हैं कि मौजा नयानगर पटवार क्षैत्र तहसील ब्यावर में वर्णित खसरा नंबर 702, 703, 705, 706 लगायत 713 व 2176/710 की भूमियो को रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 14.10.1965 को वादीगण के क्रमशः माता, सास व दादी स्व0 श्रीमति बिदामी पत्नि स्व0 श्री गुलाबचन्द जी जाति माली (भाटी) निवासी सुरजपोल गेट अन्दर, मालियान मौहल्ला, ब्यावर हाल निवासी पुरानी मसूदा रोड, ब्यावर एंव स्व0 श्रीमति हुलासी पत्नि स्व0 सुवालाल जाति माली (दगदी) ने खरीद की थी किन्तु स्व0 बिदामी व स्व0श्रीमति हुलासी के बीच आपसी विभाजन मे उक्त खसरा नंबर 702, 703, 707, 712, 713, स्व0 श्रीमति बिदामी के हिस्से में जरिये विभाजननामा इकरारनामा दिनांक 04.10.1972 के जरिये आया था। और खसरा नंबर 705, 708, 706, 709, 710, 711, 2176/710 स्व. श्रीमति हुलारी के हिस्से में आये थे। स्व. श्रीमति हुलासी ने अपने हिस्से में आये खसरा नंबर 705, 706, 708 व 711 का बेचाननामा दिनांक 23.09.1972 जिसका कि पंजीकरण दिनांक 4.10.1972 में श्रीमति बिदामी के हक में करवाया गया था। उक्त हुलासी व बिदामी के बीच विभाजननामा भी दिनांक 4.10.1972 को हुआ था। उसका भी बेचाननामे में होना स्वीकार किया है। इस प्रकार से खसरा नंबर 702, 703, 705 की खातेदार काश्तकार व काबिज श्रीमति बिदामी हो चुकी थी और वह अपने जीवनकाल मे काबिज चली आती रही और उसके मरने के बाद उसके वारीसान वादीगण काबिज व खातेदार चले आ रहे है, किन्तु रेवेन्यू रेकार्ड में श्रीमति बिदामी का 1/2 हिस्सा ही दर्ज है, और 1/2 हिस्सा श्रीमति हुलासी का गलत व गैर कानूनी रूप से दर्ज चले आ रहे है, जिसके विषय में राजस्व वाद संख्या 35/1998 अजनाम श्रीमति बिदामी वगैरह बनाम

.....लगातार

(जसमीतसिंह संधू)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर ब्यावर

Scanned by CamScanner

श्रीमति हुलासी वगैरह का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 व 53 का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इसी माननीय न्यायालय में विचाराधीन चला आ रहा है, जिसमें स्व0 श्रीमति बिदामी का टी0आई0 प्रार्थना पत्र स्वीकार किया हुआ है। उपरोक्त खसरान में से खसरा नंबर 703 रकबा 01–00–00 किस्म चाही.1+ है, जिसका विवाद इस दावे में है, जिसके की वादीगण बिदामी के मरने के बाद खातेदार व काबिज चले आ रहे है, उक्त भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का कोई संबंध व सरोकार नही है। उक्त भूमि खसरा नंबर 703 में से नाला निकालने व सडक एव रास्ता निकालने का कोई अधिकार नही है। और उसके विषय में नगरपरिषद, ब्यावर के विरूद्ध स्थगन आदेश जारी है। उक्त मुसाणी नदी वर्तमान में बनी पुलिया से होता हुआ तिबारे के उत्तरी दीवारे के सहारे सहारे पश्चिम से पूरब खसरा नंबर 703 में से होकर खसरा नंबर 703 के उत्तरी पूरबी कौने से मोड़ खाकर खसरा नंबर 703 की पूरबी भुजा के सहारे सहारे दक्षिण में स्थित माता जी के मंदिर तक वादीगण का व्यक्तिगत रास्ता है जिससे वे अपने खेतो पर भी आते जाते है, और मंदिर पर भी आते जाते रहते है, जो रास्ता करीबन 6 से 8 फीट चौडा रास्ता है। जो उक्त रास्ता खसरा नंबर 703 में से होकर ही बना हुआ है, उक्त रास्ते से अडाकर उत्तर में खसरा नंबर 700, 701 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का आया हुआ है। जिसमें उक्त रास्ता का कोई भाग नही आता है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने बिना किसी आधार के उक्त रास्ते को अपने खसरा नंबर 700, 701 में से होकर झूंठ मूंठ निकलना दर्शाते हुये नगरपरिषद, ब्यावर व उपखण्ड अधिकारी जी ब्यावर के यहां पत्र देकर लिखवा दिया और उसके साथ में अपना झूंठा पत्र व शपथ पत्र भी प्रस्तुत कर दिया है। जबकि उक्त रास्ता खसरा नंबर 700, 701 में आता ही नही है। और उसमें से रास्ते के अलावा नाला निकालने के लिये बिना नाप करवाये सम्पर्ण करना दर्शा दिया जो सर्वथा गलत असत्य एंव आधारहीन है। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की उक्त रास्ते में कोई जमीन आती ही नही है। इस तथ्य की जानकारी वादीगण को नही थी किन्तु वादीगण ने उक्त जमीन खसरा नंबर 703 का सीमाज्ञान व नाप करवाया तब उसे यह जानकारी हुई कि उक्त रास्ता वादीगण की जमीन में ही है। वादीगण के उक्त रास्ता जो खसरा नंबर 703 में दर्शाया गया है, जो कि वादीगण का निजी रास्ता है, और वह उनके खुद के कृषि कार्य के लिये आने जाने व उक्त खसरा नंबर 703 में जो वादीगण का निजी मंदिर बना हुआ है, उस पर लोग दर्शन करने आते है, उनके उपयोग हेतु रखा हुआ है। उसमें प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने दिनांक 27.8.2018 को उक्त रास्ते के बीच में दो कातले रोपकर अतिक्रमण कर दिया है, और रास्ते को सकडा कर दिया है। उसके लिये वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को मना किया और समझाया तो वह नही माने और धमकी दी, कि वे उक्त कातले जो रोप रखे है, उस अतिक्रमण को नही हटायेंगे। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से उक्त अतिक्रमण हटाने के अधिकारी है। किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने दिनांक 28.08.2018 को अंतिम रूप से कातले हटाकर अतिक्रमण हटाने से इन्कार कर दिया है, और वादीगण को धमकी दी, कि वे उक्त वादीगण के खसरा नंबर 703 में दोनो कातलो के

.....लगातार

(जसमीतसिंह संधू)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

Scanned by CamScanner

बीच में गेट लगाकर पूरा रास्ता अवरूध कर देंगे। इसलिये इस वाद की आवश्यकता हुई है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है, कि वादीगण के हक में तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध बेदखली की डिक्री पारीत की जावे तथा खसरा नंबर 703 में जो उपरोक्त रास्ते में अतिक्रमण कर दिया गया है, उसे प्रतिवादीगण के खर्चे से रोपे गये कातलो को हटाया जावे और उनका अतिक्रमण वादग्रस्त खसरा नंबर 703 में स्थित रास्ते के बीच में कर दिया गया है, उसे हटाया जावे तथा दावा दायरी के बाद खसरा नंबर 703 के किसी भी अन्य भाग में अतिक्रमण कर दिया जाता है, तो उन सभी अतिक्रमणो को हटाया जाकर अतिक्रमण शुदा भाग का कब्जा वादीगण को दिलाये जाने जाने की आज्ञा प्रदान करे। तथा खर्चा दिलाया जावे।

वादपत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के सम्मन तामील होने के बावजूद भी उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में एकतरफा साक्ष्य वादीगण तलब की गई जिसमें वादी बाबूलाल पुत्र स्व0 श्री गुलाबचन्द जी जाति माली निवासी पुराना मसूदा रोड आजाद नगर, ब्यावर का अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 जाब्ता दीवानी के तहत शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसमें अपने वाद पत्र के कथनो को दोहराते हुये दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये जिसमें प्रदर्श–1 प्रमाणित प्रतिलिपी नक्शा ट्रेस है, प्रदर्श–2 ग्राम नयानगर की प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी संवत 2071 से 2074 है जिसके खाता संख्या 447 में अंकित अन्य खसरान् के साथ खसरा संख्या 703 रकबा 01–00–00 में बिदामी जोजे गुलाबचन्द 1/2 हि. व हुलासी जोजे सुवालाल 1/2 हि. कौम माली सा. देह दर्ज होना पाया गया एंव प्रदर्श– 3 व प्रदर्श–4 ग्राम नयानगर की जमाबन्दी संवत् 2071 से 74 है जिसके खाता संख्या 173 व 257 में अंकित खसरा संख्या 700 व 701 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज होना पाया गया, तुलसीराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 10.9. 2012 मार्क–ए है, गोविन्दराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 16.9.2012 मार्क–बी है, सम्पर्ण पत्र तुलसीराम का मार्क–सी है, एंव सम्पर्ण पत्र गोविन्दराम का दिनांक 21.9. 2012 मार्क–डी है।

वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई जिसमें वकील वादीगण ने अपने वाद पत्र व दस्तावेजात के कथनो को दोहराते हुये दावा वादीगण के हक में स्वीकार किये जाने का कथन किया गया तथा बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर0 आर0 डी0 1995 पेज 182 रघुनाथ बनाम मांगीबाई प्रस्तुत किये गये।

मेरे द्वारा पत्रावली का अद्धोपांत अवलोकन किया गया। वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध बेदखली का वाद प्रस्तुत किया गया है, जिसके समर्थन में दस्तावेजात राजस्व नक्शा ट्रेस प्रदर्श–1 है, एंव प्रदर्श–2 जमाबंदी संवत 2071 से 2074 मे खाता संख्या 447 में वर्णित खसरान बिदाम जोजे गुलाबचन्द 1/2 हिस्सा व हुलासी जोजे सुवालाल 1/2 हिस्सा दर्ज होना पाया गया। इसी प्रकार प्रदर्श–3 जमाबंदी संवत 2071 से 2074 में खसरा नंबर 700 गोविन्दराम पुत्र भंवरलाल प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खातेदारी में दर्ज होना पाया गया। इसी प्रकार प्रदर्श–4 जमाबंदी संवत 2071 से 2074 में खसरा नंबर 701 तुलसीराम पुत्र भंवरलाल प्रतिवादी संख्या 2 के नाम खातेदारी में दर्ज होना पाया गया। वादीगण ने विवादित खसरा नंबर 703 के विषय मे

.....लगातार

(जसमीतसिंह संधू)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

Scanned by CamScanner

जो वादीगण का निजी रास्ता अपने मंदिर में आने जाने हेतू रखा है, उसमें प्रतिवादी संख्या 1 व 2 नाजायज रूप से कातले रोपकर अतिक्रमण कर दिया है, उसको हटाने के विषय में वाद प्रस्तुत किया गया है। जबकि वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 703 श्रीमति बिदामी जोजे गुलाबचन्द व हुलासी जोजे सुवालाल की खातेदारी में दर्ज होना पाया गया। जिसमें बिदामी के वारीसान वादीगण होने का कथन किया है जबकि वादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत में कथन Suit can be filed by one of the co- tenants without impleading other co-tenants – Possession of defendant not proved – Plea of limitation unacceptable उक्त दृष्टांत इस प्रकरण में सहखातेदारी की भूमियों बाबत् किसी एक खातेदार द्वारा वाद प्रस्तुत किये जाने की सीमा तक लागू होता है। प्रतिवादीगण द्वारा इस न्यायालय द्वारा सम्मन जारी होने के बावजूद उपस्थिति नही हुये है, और ना ही वादीगण के वाद का विरोध किया और ना कोई जवाबदावा प्रस्तुत किया। ऐसी स्थिति में उक्त विवेचन व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रकरण इस सीमा तक आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता है कि यदि वादीगण के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 703 में कोई अतिक्रमण किया गया है, तो उसे जरिए नाप चौप अतिक्रमण हटवाया जाना उचित है।

अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण आंशिक स्वीकार जाकर मौजा नयानगर पटवार क्षेत्र नयानगर तहसील ब्यावर में स्थित खसरा नंबर 703 रकबा 01–00–00 बीघा का नाप चौप कर तहसीलदार ब्यावर को यह आदेशित किया जाता है कि उक्त खसरा नंबर 703 में यदि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा कोई अतिक्रमण अथवा पट्टियां आदि लगाकर कोई अवरोध उत्पन्न किया जाना पाया जाता है, तो प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर कब्जा खातेदारान को कब्जा दिलाया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26-08-2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर ब्यावर

(जसमीतसिंह संधू)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर ब्यावर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Jasmeet Singh Sandhu
Date: 2019.12.09 15:41:26 IST
Reason: SelfAttested
Location: